पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक : 1394 / अका. / का.प. / 2005 रायपुर, दिनांक : 20.06.2005

विश्वविद्यालय के कार्य परिषद की बैठक शुक्रवार, दिनांक 17 जून, 2005 को अपरान्ह 3:00 बजे कुलपति कक्ष में आयोजित हुई । सर्वप्रथम कुलपति ने कार्य परिषद के सभी सदस्यों का स्वागत किया तथा उन्होंने कहा कि कार्य परिषद विश्वविद्यालय की सर्वोच्च निकाय है जिसका उत्तरदायित्व है कि संस्था के विकास में सही निर्णय लें । इस निकाय के सभी सदस्यों का योगदान विकास के पथ के लिए आवश्यक है जैसे पूर्व में इस निकाय के सभी सदस्यों द्वारा सहयोग किया गया इसी प्रकार सहयोग मिलता रहे ताकि हम विकास के पथ पर सदैव आगे बढ़ सके । सभी सदस्यों द्वारा कुलपति का हार्दिक स्वागत किया गया तथा सभी ने आवश्वासन दिया कि इस निकाय के सभी सदस्य विकास के पथ पर विश्वविद्यालय को ले जाने के लिए आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे । बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुए :-

उपस्थिति :-

1.	डॉ. लक्ष्मण चतुर्वेदी, कुलपति	—	अध्यक्ष
2.	प्रो. ओ. पी. वर्मा, कुलाधिसचिव	—	सदस्य
3.	प्रो. एम.ए. खान	—	सदस्य
4.	प्रो. हेमलता मोहबे	—	सदस्य
5.	प्रो. ए. के. बंसल	—	सदस्य
6.	डॉ. जी.डी. साव	—	सदस्य
7.	डॉ. युगल किशोर भारती	—	सदस्य
8.	श्री भागवत चन्द्राकर	—	सदस्य
9.	प्रो. विभूति राय	—	सदस्य
10.	श्री रमेश नैयर	—	सदस्य
11.	~~डॉ. कु. रुक्मणी सिर्के~~	—	सदस्य
12.	श्रीमती मनीषा एम.जोशी	—	सदस्य
13.	श्री के. के. चन्द्राकर, कुलसचिव	—	सचिव

1. कार्य परिषद की आपात बैठक दिनांक 12.04.2005, 21.04.2005, 27.04.2005 तथा 12.05.2005 के कार्यवृत्त को संपुष्टि प्रदान करना ।

निर्णय :- कार्य परिषद की आपात बैठक दिनांक 12.04.2005, 21.04.2005, 27.04.2005 तथा दिनांक 12.05.2005 के कार्यवृत्त की संपुष्टि की गई ।

2. 1 मई को विश्वविद्यालय स्थापना दिवस मनाने के सम्बन्ध में विचार करना ।

निर्णय :- 1 मई को विश्वविद्यालय स्थापना दिवस मनाने के प्रस्ताव को सर्वसम्मति से स्वीकार करते हुए अनुमोदित किया गया । स्थापना दिवस के दिन विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित की जाने वाली कार्यक्रमों की रूपरेखा बनाकर बजट सहित आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाये ।

कार्यवाही – प्रशासन विभाग

3. विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालयों में प्राचार्य पद पर नियुक्ति हेतु गठित चयन समिति की अनुशंसा पर अनुमोदन करने के प्रकरण पर विचार करना ।

निर्णय :– विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालयों के प्राचार्य पद पर नियुक्ति हेतु गठित चयन समिति की अनुशंसा को निरस्त करते हुए सम्बन्धित लिफाफों को नहीं खोलने का निर्णय लिया गया। सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि आगे से होने वाली चयन समिति में स्वयं कुलपति अध्यक्षता करेंगे। यह भी निर्णय लिया गया कि सम्बन्धित महाविद्यालयों के प्राचार्य चयन सम्बन्धी प्रक्रिया यथाशीघ्र पूर्ण की जावे ।

कार्यवाही – अकादमिक विभाग

4. विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालयों में शिक्षक पद पर नियुक्ति हेतु गठित चयन समिति की अनुशंसा पर अनुमोदन करने के प्रकरण पर विचार करना ।

निर्णय :– विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालयों के शिक्षक पद पर नियुक्ति हेतु गठित चयन समिति की अनुशंसा पर कार्यवाही निरस्त करते हुये पुनः चयन समिति गठित करने का निर्णय लिया गया । यह भी निर्णय लिया गया कि सम्बन्धित महाविद्यालयों में चयन सम्बन्धी प्रक्रिया यथाशीघ्र पूर्ण की जाये।

कार्यवाही – अकादमिक विभाग

5. विश्वविद्यालय ग्रंथालय को स्वीकृत इम्प्रेस्ट राशि रू. 2,500/– को वृद्धि कर रू. 5,000 करने के प्रकरण पर विचार करना ।

निर्णय :– अनुमोदन प्रदान किया गया ।

कार्यवाही – वित्त विभाग

6. पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर की चल–अचल संपत्ति का सामान्य बीमा कराने के सम्बन्ध में विचार करना ।

निर्णय :– सर्वसम्मति से सैद्धांतिक रूप से अनुमोदन किया गया तथा यह भी निर्णय लिया गया कि प्रत्येक विभाग से उनकी सम्पत्ति की जानकारी लेकर इस पर होने वाले व्यय का आकलन कर आवश्यक कार्यवाही की जावे ।

कार्यवाही – प्रशासन/वित्त विभाग

7. विश्वविद्यालय परिसर के आवास–गृह का आबंटन शासन के नियमानुसार करने के सम्बन्ध में विचार करना ।

निर्णय :–आवास गृह का आबंटन के लिए शासन के नियमों का पालन किया जाये। यह भी निर्णय लिया गया कि शासन द्वारा निर्धारित पुनरीक्षित गृह भाड़ा के अनुसार आवासीय परिसर का किराया लिया जावे ।

कार्यवाही – प्रशासन विभाग

8. विश्वविद्यालय प्रेक्षागृह को विश्वविद्यालय परिवार के अलावा अन्य को उपयोग हेतु प्रदान करने के सम्बन्ध में विचार करना ।

निर्णय :–विश्वविद्यालय प्रेक्षागृह के आंतरिक हिस्से का आबंटन वैवाहिक कार्यक्रमों के लिए नहीं किया जावे तथा यह भी निर्णय लिया गया कि प्रेक्षागृह के आबंटन के पूर्व दरों में संशोधन करते हुए निम्नानुसार किराया निर्धारित किया जाये –

क	बाह्य व्यक्तियों के लिए		वि.वि. से संबंधित के लिए	अमानत राशि
1.	प्रेक्षागृह (आंतरिक)	रू. 20,000/–	रू. 10,000/–	रू. 5,000/–
2.	प्रेक्षागृह (बाह्य लॉन)	रू. 10,000/–	रू. 5,000/–	रू. 5,000/–

यह भी निर्णय लिया गया है कि यदि किसी को बाह्ृ लॉन का आबंटन वैवाहिक कार्यक्रम हेतु प्रदान किया जाता है तो किसी भी स्थिति में प्रेक्षागृह के आंतरिक हॉल का उपयोग इस हेतु नहीं होगा। यदि किसी को बाह्ृ/हॉल आबंटन हुआ है वह किसी अन्य को उपयोग हेतु अनुमति नहीं दे सकेंगें। यदि इस प्रकार की व्यवस्था में निरीक्षण के दौरान जानकारी में यह पता चलती है कि जिन्हें आबंटित किया गया है वे उपयोग न कर दूसरे को उपयोग हेतु दिया है तो उन्हें दण्ड दिया जावे।

कार्यवाही – विश्वविद्यालय यांत्रिकी विभाग

9. विश्वविद्यालय शिक्षण विभागों में अध्यापन कार्य के लिए तदर्थ नियुक्ति के सम्बन्ध में विचार करना ।

निर्णय :– प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। समाचार पत्रों में विज्ञापन देकर एक सप्ताह का समय देते हुये आवेदन पत्र आमंत्रित किया जाय। प्राप्त आवेदन की वि.वि.अनुदान आयोग के द्वारा निर्धारित मापदण्ड के आधार पर स्क्रूटनी के बाद तीन सदस्यों की समिति द्वारा साक्षात्कार के माध्यम से पात्र उम्मीदवार का चयन किया जावे।

कार्यवाही – प्रशासन विभाग

10. विश्वविद्यालय परिसर की सुरक्षा की जिम्मेदारी भूतपूर्व सैनिकों द्वारा गठित संस्था को प्रदान करने के प्रकरण पर विचार करना।

निर्णय :– उक्त प्रकरण पर निर्णय लिया गया कि इस व्यवस्था हेतु डॉ.एम.ए.खान, प्रॉक्टर के द्वारा विस्तृत रूपरेखा एवं कार्ययोजना तैयार कर आगामी कार्यपरिषद में रखा जावे।

कार्यवाही – प्रशासन विभाग

11. विश्वविद्यालय फार्मेसी संस्थान में गैर शैक्षणिक पदों पर स्ववित्तीय बजट के अंतर्गत नियुक्ति हेतु अनुमति प्रदान करने के प्रकरण पर विचार करना ।

निर्णय :– विश्वविद्यालय फार्मेसी संस्थान में गैर शैक्षणिक पदों पर स्ववित्तीय बजट के अंतर्गत नियुक्ति हेतु पदों के सृजन की स्वीकृति प्रदान की गई।

कार्यवाही – प्रशासन विभाग

12. उपाधि हेतु अंतिम वर्ष के परीक्षार्थियों से उपाधि शुल्क परीक्षा शुल्क के साथ प्राप्त कर उपाधि प्रतिवर्ष अनिवार्यतः प्रदान करने पर विचार करना ।

निर्णय :– प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। यह भी निर्णय लिया गया कि छात्रों का फोटो एवं अभिभावक का नाम का उल्लेख उपाधि पत्र पर किया जावे।

कार्यवाही – परीक्षा विभाग

13. विश्वविद्यालय का स्वयं का कुलगीत बनाने के सम्बन्ध में विचार करना ।

निर्णय :– सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया। समाचार पत्रों पर उक्त समाचार प्रकाशित कर कुलगीत आमंत्रित किया जाय। कुलगीत प्राप्त होने के बाद इस हेतु गठित समिति द्वारा परीक्षण किया जावे एवं उनके अनुशंसा के अनुसार प्रकरण कार्यपरिषद में अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जावे।

कार्यवाही – प्रशासन विभाग

14. अधिष्ठाता, छात्र कल्याण विभाग को विभागीय इम्प्रेस्ट राशि रू. 5000/– की स्वीकृति प्रदान करने के प्रकरण पर विचार करना ।

निर्णय :– सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।

कार्यवाही – वित्त विभाग

15. पूर्णकालिक अधिष्ठाता छात्र कल्याण की नियुक्ति के सम्बन्ध में विचार करना ।

निर्णय :– सर्वसम्मति से अनुमोदित की गई।

कार्यवाही – प्रशासन विभाग

16. कम्प्यूटर विज्ञान अध्ययन शाला के लिए स्ववित्तीय आधार पर शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक पद सृजित करने के प्रकरण पर विचार करना ।

निर्णय :– कम्प्यूटर विज्ञान अध्ययन शाला के लिए स्ववित्तीय आधार पर प्रस्तावित शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक पद सृजित करने की स्वीकृति प्रदान की गई।

कार्यवाही – प्रशासन विभाग

17. श्री डी. के. दुबे, सहायक प्राध्यापक–वाणिज्य, श्रीमती प्रमिला गोकुलदास डागा कन्या महाविद्यालय, रायपुर को महाविद्यालय द्वारा सेवा से पदच्युत (टर्मिनेट) किये जाने के प्रकरण पर विचार करना ।

निर्णय :– सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि उक्त प्रकरण पर कानूनी सलाह लिया जाय। यह भी निर्देशित किया गया कि वि.वि. से सम्बद्ध कोई भी महाविद्यालय किसी भी शिक्षक को हटाने का एकपक्षीय निर्णय न लेकर वि.वि. के अनुमोदन से ही नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करे। यह भी निर्णय लिया गया कि समस्त महाविद्यालय विश्वविद्यालय के निर्णयों का पालन करें। विश्वविद्यालय के निर्णयों का उल्लंघन करने पर उनकी सम्बद्धता निरस्त कर दी जावे।

कार्यवाही – अकादमिक विभाग

18. विश्वविद्यालय परीक्षाओं को सुचारू रूप से संचालित करने हेतु विश्वविद्यालय से सम्बद्ध नये एवं ऐसे छोटे महाविद्यालय जहाँ विद्यार्थियों की संख्या 100 से कम हो उन्हें सत्र 2005–06 से परीक्षा केन्द्र नहीं बनाये जाने के प्रकरण पर विचार करना ।

निर्णय :– सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय परीक्षाओं के लिये ऐसे केंद्र जहाँ 100 से कम विद्यार्थी है परीक्षा केंद्र न बनाया जावे। यह भी निर्णय लिया गया कि संवेदनशील एवं दूरस्थ क्षेत्रों के परीक्षा केंद्रों के लिये वि.वि. द्वारा नियुक्त निरीक्षक के निर्देशन पर महाविद्यालय द्वारा परीक्षा आयोजित की जावेगी तथा महाविद्यालय इसमें पूर्ण सहयोग प्रदान करेंगे। परीक्षा केंद्र से वंचित महाविद्यालयों से परीक्षा केंद्र बनाने के लिये आवेदन प्राप्त होने पर विश्वविद्यालय को अधिकार होगा कि वे सम्बन्धित परिस्थितियों में परीक्षा केंद्र घोषित करें या नहीं।

कार्यवाही – परीक्षा विभाग

19 श्री श्रवण सिंह ठाकुर एवं अन्य के स्थायीकरण के प्रकरण पर विचार करना ।

निर्णय :– सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रकरण का सूक्ष्म परीक्षण कर विस्तृत जानकारी के साथ पुनः वि.वि. की ओर से उच्च न्यायालय के लिये अधिकृत विधिक सलाहकार से अभिमत लेकर आगामी कार्यपरिषद में प्रकरण रखा जावे।

कार्यवाही – प्रशासन विभाग

20 विश्वविद्यालय तकनीकी संस्थान के लिए प्रस्तावित भवन की निविदा के सम्बन्ध में भवन समिति की अनुशंसा पर विचार करना (भवन समिति की बैठक दिनांक 08.06.2005 की कार्यवृत्त पटल पर प्रस्तुत की जावेगी) ।

निर्णय :– प्रकरण आगामी कार्यपरिषद में रखा जावे।

कार्यवाही – यांत्रिकी विभाग

21 स्थायी समिति की बैठक दिनांक 08.06.2005 में की गई अनुशंसा को अनुमोदन प्रदान करने के प्रकरण पर विचार करना (कार्यवृत्त पटल पर प्रस्तुत की जावेगी)।

निर्णय :– स्थायी समिति की बैठक दिनांक 08.06.2005 के बिंदु कमांक 4 में उल्लेखित पं.सखाराम महविद्यालय एकता नगर गुढियारी रायपुर एवं सांई महाविद्यालय भिलाई को निरीक्षण समिति के अनुशंसा अनुसार सशर्त अस्थायी सम्बद्धता प्रदान की जावे। उक्त संशोधन के साथ स्थायी समिति की अनुशंसा को अनुमोदित की गई।

कार्यवाही – अकादमिक विभाग

पूरक सूची :–

22 कुलाधिसचिव कार्यालय को रू. 5000/– विभागीय इम्प्रेस्ट राशि स्वीकृत करने के प्रकरण पर विचार करना ।

निर्णय :– सर्वसम्मति से अनुमोदित की गई।

कार्यवाही – वित्त विभाग

23 विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालयों में विभिन्न विषयों में निर्धारित छात्र संख्या से अधिक छात्रों को परीक्षा में सम्मिलित नहीं होने देने के प्रकरण पर विचार करना ।

निर्णय :– विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालय वि.वि. द्वारा अनुमोदित छात्र संख्या के अनुसार ही संबंधित पाठ्यक्रमों में प्रवेश दें यदि कोई महाविद्यालय वि.वि. द्वारा अनुमोदित छात्र संख्या से अधिक प्रवेश देता है तो उनकी सम्बद्धता समाप्त की जावेगी।

कार्यवाही – परीक्षा विभाग

24 महाविद्यालयों को उनके सम्मुख दर्शाये गये विषय/विषयों में शोध केन्द्रों के रूप में मान्यता प्रदान करने सम्बन्धी निरीक्षण प्रतिवेदन के आधार पर शोध उपाधि समिति की बैठक में की गई अनुशंसा के अनुमोदन पर विचार करना ।

निर्णय :– महाविद्यालयों को शोध के लिये केंद्र घोषित करने के पूर्व यू.जी.सी. या अन्य केंद्रीय संस्थाओं के निर्देश के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण पर पुनः परीक्षण कर प्रस्तुत किया जावे।

कार्यवाही – अकादमिक विभाग

25. शिक्षक कल्याण कोष समिति द्वारा लिए गये निर्णय को अनुमोदन प्रदान करने के प्रकरण पर विचार करना ।

निर्णय :– प्रकरण पर वर्तमान स्थिति को देखते हुये समिति पुनः परीक्षण करें।

कार्यवाही – वित्त विभाग

अध्यक्ष की अनुमति से :–

26. फेरोइलेक्ट्रिक नेशनल अवार्ड 2005–2006 के लिये गठित समिति के लिये दो सदस्यों का मनोनयन पर विचार करना।

निर्णय :– पूर्व में नामांकित सदस्य का मनोनयन निरस्त की जावे तथा वर्ष 2005–2006 के लिये दो विषय विशेषज्ञ के मनोनयन की कार्यवाही हेतु प्रकरण आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जावे।

कार्यवाही – अनुदान शाखा

27. इलेक्ट्रॉनिक्स भवन के विस्तार के समम्बन्ध में पूर्व निर्णय पर विचार करना।

निर्णय :– इलेक्ट्रॉनिक्स भवन के विस्तार से सम्बन्धित पूर्व निर्णय में विभागाध्यक्ष का अभिमत नहीं लिया गया था। विभागाध्यक्ष के अनुसार भवन का विस्तार वर्तमान भवन के प्रथम तल पर किया जाना है अतः विभागाध्यक्ष के अनुशंसा अनुसार पूर्व निर्णय को निरस्त करते हुये प्रथम तल पर निर्माण की अनुमति दी जावे। इस सम्बन्ध में यू.जी.सी. या अन्य निकाय से यदि अनुमोदन लिया जाना है तो सम्बन्धित कार्यवाही शीघ्र पूर्ण कर ली जावे।

कार्यवाही – यांत्रिकी विभाग

28. इलेक्ट्रॉनिक्स भवन के चारो ओर फेसिंग करने के संबंध में विचार करना।

निर्णय :– विभागाध्यक्ष इलेक्ट्रॉनिक्स अध्ययन शाला के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक्स भवन के चारो ओर फेंसिंग करने हेतु प्रस्तावित किया गया है। विभागाध्यक्ष द्वारा भवन में हमेशा चोरी एवं अन्य घटनायें होने की सूचना दी गई है। अतः निर्णय लिया गया कि इलेक्ट्रनिक्स भवन के चारो ओर फेंसिंग कराने के लिये सिद्धांतः स्वीकार किया गया है तथा इस हेतु बजट एवं आवश्यक कार्यवाही संबंधित विभाग शीघ्र कर प्रस्ताव आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जावे।

कार्यवाही – यांत्रिकी विभाग

29. बी.कॉम प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय के परीक्षा परिणाम के संबंध में ।

निर्णय :– बी.काम प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय के परीक्षा परिणामों के संबंध में माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया। उक्त परीक्षाओं में सम्मिलित परीक्षार्थियों के द्वारा कम अंक प्राप्त होने के संबंध में प्राप्त अभ्यावेदनों के आधार पर परीक्षण कराया गया तथा परीक्षण के उपरान्त यह पाया गया कि मूल्यांकन सामान्यतः सही हुआ है। यह भी निर्णय लिया गया कि यदि परीक्षार्थी पुर्नमूल्यांकन के बाद भी मूल्यांकन में असंतोष जाहिर करता है तो परीक्षार्थी के द्वारा वि.वि. द्वारा निर्धारित प्रपत्र में आवश्यक शुल्क सहित आवेदन करने पर उत्तरपुस्तिका की सत्यापित छाया प्रति उपलब्ध कराया जावे जिससे मूल्यांकन में पारदर्शिता बनी रहे। यह भी निर्णय लिया गया कि किसी परीक्षक द्वारा सही मूल्यांकन नहीं होने की प्रमाणिकता सिद्ध होने पर संबंधित परीक्षक को अध्यादेश के तहत परीक्षा कार्य से वंचित रखा जावे।

कार्यवाही – गोपनीय विभाग

30. उदन्ती महाविद्यालय देवभोग में दिनांक 12.5.2005 को आयोजित बी.ए.भाग द्वितीय राजनीतिशास्त्र की परीक्षा में हुये सामूहिक नकल प्रकरण पर विचार करना।

निर्णय :– उदन्ती महाविद्यालय देवभोग में दिनांक 12.5.2005 को आयोजित बी.ए.भाग द्वितीय राजनीतिशास्त्र की परीक्षा में उडदनस्ता के द्वारा सामूहिक नकल का प्रकरण बनाने एवं जांच समिति द्वारा उक्त प्रकरण की जांच उपरान्त प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर यह पाया गया कि उक्त परीक्षा में सामूहिक नकल हुई थी। अतः उदन्ती महाविद्यालय को इस कृत्य के लिये चेतावनी देते हुये यह निर्णय लिया गया कि दिनांक 12.5.2005 को आयोजित राजनीतिशास्त्र की परीक्षा को निरस्त किया जावे ।

कार्यवाही – परीक्षा विभाग

31. माता कर्मा महा.गुण्डरदेही में दिनांक 14.5.2005 को आयोजित प्रश्न पत्र समय से पहले खोलने के प्रकरण पर विचार करना।

निर्णय :– यह निर्णय लिया गया कि संबंधित महाविद्यालय को चेतावनी दिया जावे। उक्त महाविद्यालय को आगामी सत्र के लिये परीक्षा केंद्र बनाने के पहले यह सुनिश्चित किया जावे कि ऐसी घटना की पुनरावृत्ति न हो।

कार्यवाही – परीक्षा विभाग

32. शास.विश्वनाथ यादव तामस्कर स्नातकोत्तर स्वशासी महा.दुर्ग में बी.ए.अंतिम अर्थशास्त्र प्रथम की परीक्षा के सम्बन्ध में विचार करना।

निर्णय :– शास. विश्वनाथ यादव तामस्कर स्नातकोत्तर स्वशासी महा.दुर्ग में दिनांक 28.5.2005 को आयोजित बी.ए.अंतिम अर्थशास्त्र प्रथम की परीक्षा के लिये गोपनीय विभाग द्वारा कोड कमांक ओ–701ए निर्धारित किया गया था उक्त प्रश्न पत्र महाविद्यालय के पास उपलब्ध भी था परन्तु संबंधित महाविद्यालय ने ओ–701ए कोड के आधार पर परीक्षा आयोजित न कर उन्हें पूर्व में दी गई प्रश्न पत्र ओ–701 के आधार पर परीक्षा आयोजित कर दिया। अतः इस प्रश्न पत्र की परीक्षा निरस्त की जाती है। संबंधित महाविद्यालय के अधिकृत परीक्षा केंद्राध्यक्ष/सहायक केंद्राध्यक्ष को परीक्षा जैसे महत्वपूर्ण कार्य में लापरवाही के लिये चेतावनी दिया जाय कि इस प्रकार की लापरवाही भविष्य में न किया जावे तथा संबंधित छात्रों की परीक्षा पुनः ली जावे।

कार्यवाही – परीक्षा विभाग

33. वार्षिक परीक्षा 2006 के लिये नियमित छात्रों के लिये शुल्क संरचना युक्तियुक्तकरण करने के प्रकरण पर विचार करना।

निर्णय :– परीक्षा विभाग द्वारा विभिन्न परीक्षाओं के लिये शुल्क संरचना के युक्तियुक्तकरण के लिये प्रस्तावित शुल्क तालिका को अनुमोदन किया गया।

कार्यवाही – परीक्षा विभाग

34. फेंकिंग मशीन में 3 प्रतिशत पोस्टल कमीशन वि.वि. खाता में जमा नहीं करने के संबंध में विचार करना।

निर्णय :– वि. वि. केंद्रीय जावक के फेंकिंग मशीन में स्टाम्प भरवाने का कार्य वर्ष 2001 से नियमित रूप से श्री एस.के.साबले द्वारा किया जाता रहा है। इस संबंध में प्रशासन विभाग द्वारा यह जानकारी दी गई कि वर्ष 2001 से वर्ष 2005 तक कुल राशि रूपये 23,50,000 (रूपये तैइस लाख पचास हजार मात्र) का स्टाम्प भरवाया गया तदनुसार 3 प्रतिशत के दर से कमीशन की राशि कुल रूपये 70,500/– होती है। उक्त राशि से मात्र रूपये 21,000 श्री एस.के.साबले,कनिष्ठ अधीक्षक द्वारा वि.वि. खाते में जमा की गई एवं 5400/– रूपये की सामग्री मशीन से संबंधित इंक खरीदी गई है। कुल शेष राशि रू.44,100 श्री एस.के.साबले, कनिष्ठ अधीक्षक के पास शेष है। अभी तक यह राशि वि.वि. के खाते में जमा नहीं की गई है। संबंधित कर्मचारी से जानकारी लेने

---08

पर उन्होंने बताया कि यह राशि घर की शादी, बीमारी वगैरह में लग जाने के कारण वह जमा नहीं कर पाया। जबकि वि.वि. की कोई भी राशि का निजी प्रयोजन हेतु उपयोग या वि.वि. राशि को बिना सक्षम अधिकारी के अनुमति के अपने पास रखना आर्थिक गबन के तहत आता है।

सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि संबंधित कर्मचारी श्री एस.के.साबले, कार्या. अधीक्षक के पास उपलब्ध वि.वि. की राशि रू 44,100/-वसूली किया जाय एवं उन्हें अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी जावे।

अन्त में, कुलपति एवं अध्यक्ष कार्यपरिषद को धन्यवाद के साथ बैठक समाप्त हुई।

कुलपति

कुलसचिव

पृ. कमांक : 1395 / अका. / का.प. / 2005

प्रतिलिपि :-

रायपुर, दिनांक : 20.06.2005

1. महामहिम कुलाधिपति के सचिव, राजभवन छत्तीसगढ़, रायपुर ।
2. कार्य परिषद के समस्त सदस्यों को ।
3. वित्ताधिकारी,
4. आवासीय अंकेक्षक,
5. कुलपति के सचिव / कुलसचिव के निजी सहायक,

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

कुलसचिव